न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्या:—68/2025 दर्ज तिथि:—13.05.2025

1. बाघसिंह पुत्र देवराजसिंह
   जाति जाट निवासी ,कुण्डावा,पटवार हल्का लोहारवा, तहसील धोरीमन्ना।

.......................प्रार्थी

बनाम

1. खेताराम पुत्र जोधाराम
2. तोगाराम पुत्र जोधाराम
3. नारायणराम पुत्र जोधाराम
4. लाभूराम पुत्र जोधाराम
5. सवाईराम पुत्र जोधाराम
   जाति जाट निवासी कुण्डावा, तहसील धोरीमना

.........................असल विप्रार्थीगण

6. तहसीलदार धोरीमना

.........................तकमीली विप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थी:—श्री ओमप्रकाश विश्नोई
अप्रार्थीगण:— एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:—29.07.2025

प्रार्थना—पत्र

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा —131,136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 295 व 144 मौजा कुण्डावा पटवार हल्का [illegible] तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त आराजी का भाई बं[illegible] प्रार्थी के खसरा संख्या 295, 295/2, 144/7, रकबा क्रमशः 22—12 बीघा, 02—[illegible] बीघा,72—10 बीघा प्राप्त हुआ। जिसमें से मूल खसरा संख्या 144 की 72—10 [illegible] भूमि का बेचाण विप्रार्थीगण के पिता द्वारा वर्ष 1988 में किये जाने तथा एकल खातेदारी की होने से बि[illegible] को बताये मनमर्जी से तरमीम करने पर उक्त मूल ख[illegible] के दो खसरे 144/7 [illegible]4/6

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:13:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

क्षेत्रफल क्रमशः 5.9084 है0, 5.8275 है0 यानि 36–10 बीघा व 36–00 बीघा का कायम हुआ। तरमीम अनुसार खसरा संख्या 144/7/5.9084 है0, का प्रार्थी द्वारा पत्थरखंदी आदेश किया तो गठित टीम द्वारा मौके पर खसरा संख्या 144/7 व 144/6 का नाप करने पर बताया कि आपकी तरमीम त्रुटिपूर्ण है आपके खसरा संख्या 144/7 की तरमीम 36–10 बीघा की जगह 30 बीघा तथा विप्रार्थी के खसरा संख्या 144/6/5.8275 है0 यानि 36–00 बीघा की जगह 41 बीघा की तरमीम कर दी गई। इस प्रकार प्रार्थी के खसरे की तरमीम 6 बीघा कम जबकि विप्रार्थी के खसरे की तरमीम 6 बीघा अधिक किये जाने से कब्जा एवं रेकर्ड में भिन्नता आ गई। अतः विप्रार्थी के बेचान,बंटवारा व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

जवाब

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण के नोटिस विधिवत तामिली के बावजूद अनुपस्थित होने पर विप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 तक के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्राथीगण जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना से मौके की वर्तमान तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना के पत्रांक भू.अ./2025/1577 दिनांक 26.06.2025 के द्वारा बिन्दुवार मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय नजरी नक्शा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार धोरीमन्ना ने अपनी जांच रिपोर्ट व विगतवार जबाव में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी के खसरा संख्या 144/7 की तरमीम बेचान दस्तावेज व मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार अंकित नहीं की गई है। तरमीम दुरस्त किये जाने से रकबा बेचान दस्तावेज के अनुसार बराबर होगा तथा मौके अनुसार रेकर्ड में समानता होगी।

3. तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार नवीन विभाजित खसरे की तरमीम गलत दर्शाई गई है जो परिशिष्ट 'क' अनुसार दर्शाई गई है। नवीन विभाजित खसरे की तरमीम मौका एवं बेचान दस्तावेज के में दर्शाऐ अनुसार परिशिष्ट 'ख' अनुसार दुरस्त किये जाने का कथन किया गया। अतः खसरा संख्या 144/7 व खसरा संख्या 144/6 की परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने पर रेकर्ड एवं मौका में समानता रहेगी इसलिए इसी अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत है।

जिरह

4. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा अंतिम बहस की गई।विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारानकी जिरह सुनी गई। जो कि संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः–

प्रार्थी	अप्रार्थी
प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–131 136 पर बहस	
1. प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विप्रार्थी तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा बनाई गई वर्तमान मौका रिपोर्ट में पेश नजरिये नक्शा परिशिष्ट 'ख' के अनुसार खसरा संख्या 144/7 व खसरा संख्या 144/6 की तरमीम दुरस्त करने [illegible] अनुसार तरमीम हो जाने से मौके पर [illegible] नहीं रहेगा तथा तरमीम [illegible] रेकर्ड अनुसार रहेगा। इसलिए परिशिष्ट [illegible] अनुसार तरमीम दुरस्त कर इसी अनुसार नक्शा [illegible] व ऑनलाईन नक्शे में दुरस्ती का इन्द्राज [illegible] जाने का आदेश फरमावें का निवेदन पेश किया।	1. विप्रार्थी नोटिस विधिवत तामिली के बावजूद अनुपस्थित न्यायालय रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:13:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

5. उक्त प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि मौके पर तरमीम त्रुटीपूर्ण है तथा तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट में संलगन नक्शा परिशिष्ट 'ख' के अनुसार तरमीम दुरस्ती दुरस्त किया जाना उचित होने का उल्लेख किया गया तथा उसी अनुसार तरमीम पुनः दुरस्त करने का निवेदन किया गया है।

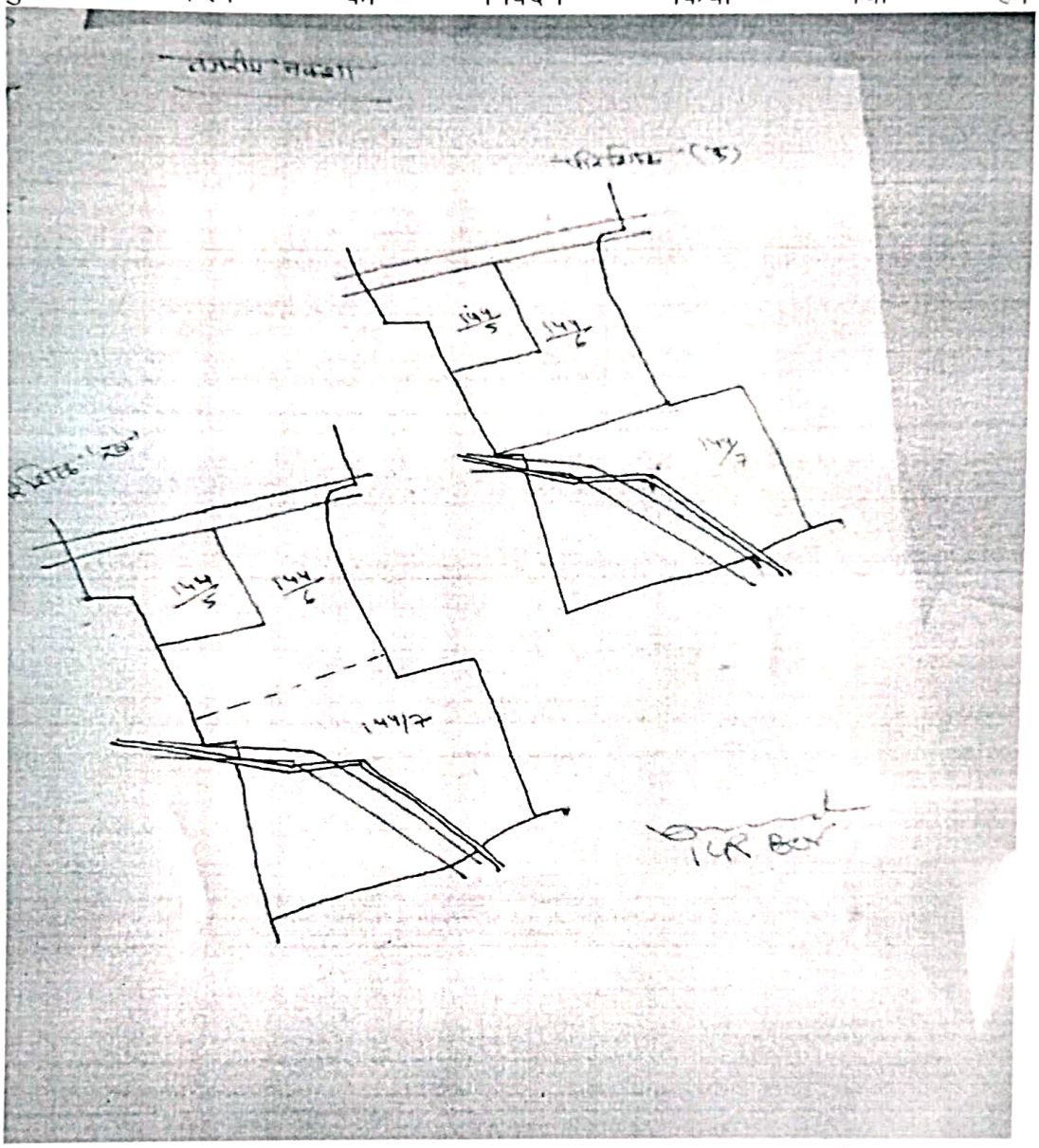

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:13:28 IST
Reason: SelfAttested

निष्कर्ष

6. इस प्रकार प्रकरण में **सर्वप्रथम** बटवारा उपरान्त निर्मित खसरा संख्या 144 / 7 व खसरा संख्या 144 / 6 की वर्तमान तरमीम बेमान दुरस्त व मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार नहीं होने तथा भू–नक्शा में विपरीत अंकित होने से तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 23.06.2025 के साथ संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट–'ख' के

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

अनुसार तरमीम दुरूस्ती कर राजस्व रेकर्ड नक्शा दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बिन्दु संख्या 06 के निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि मौका रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट 'ख' के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 23.06.2025 व नजरी नक्शा 'परिशिष्ट 'ख' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 29.07.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

29/7/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:13:28 IST
Reason: SelfAttested